न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 154 / 2016
वाद दायरी दिनांक : 24 / 11 / 2016
निर्णय दिनांक : 15/03/2017

1. गोविन्द सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. भगवान सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
3. महावीर सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

–– वादी

–बनाम–

1. प्रताप सिंह पुत्र बजरंग जाति राजपूत निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. तहसीलदार तहसील कार्यालय दूदू जिला जयपुर राज0।
3. शाखा प्रबंधक महोदय, आई सी आई सी आई बैंक शाखा मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज0

–– प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री नारायणसहाय पारीक**
विद्वान अधिवक्ता वादी।

श्री कृष्ण कुमार लखेरा
कु. निशा पारीक
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 3 फोरमल पक्षकार हैं।

निर्णय दिनांक 15/03/

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद वि प्रतिवादीगण बाबत घोषणात्मक तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का

Scanned by CamScanner

किया कि वादीगण [illegible]

[illegible] बजरंग सिंह के पुत्र है तथा [illegible] ग्राम गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 के स्थायी निवासी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि निम्न प्रकार है:-

परिशिष्ट-ए

खाता सं. पुराना	खाता सं. नया	खसरा नम्बर	रकबा
118	136	485	1.6800 है0
		542	1.7500 है0
		543	1.7500 है0
		563	1.3400 है0
		730	1.3000 है0
		731	1.3600 है0
		1721	0.1600 है0
		1722	0.1500
		कुल किता 8	9.4900 है0

परिशिष्ट-बी

खाता सं. पुराना	खाता सं. नया	खसरा नम्बर	रकबा
119	137	409	0.7800 है0
		410	0.5600 है0
		411	0.5600 है0
		412	0.2800 है0
		413	0.2600 है0
		कुल किता 5	2.4400 है0

परिशिष्ट-सी

खाता सं. पुराना	खाता सं. नया	खसरा नम्बर	रकबा
120	138	462	1.2000 है0
		कुल किता 1	1.2000 है0

परिशिष्ट-डी

खाता सं. पुराना	खाता सं. नया	खसरा नम्बर	रकबा
121	139	1705	0.4200 है0
		1710	0.1800 है0
		1719	0.4000
		कुल किता	1.0000 है0

परिशिष्ट-ई

खाता सं. पुराना	खाता सं. नया	खसरा नम्बर	रकबा
117	135	862	0.6700 है0
		937	0.3400 है0
		938	0.3400 है0
		1708	0.1900 है0
		1814	0.3000 है0
		कुल किता 5	1.8400 है0

Scanned by CamScanner

स्वर्गीय पीर सिंह के कोई पुत्र नही था तथा अपनी सम्पत्ति को स्व0 बजरंग सिंह वारिसान के हक में छोड दी थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 जो कि परिवार का ए खानदान था स्व0 पीर सिंह की विरासत का नामान्तकरण खुलवा लिया एवं स्व बजरंग सिंह की विरासत का नामान्तकरण 1/4 हिस्सा खुलवा लिया जिस प्रतिवादी संख्या 1 सम्पूर्ण आराजीयात पीर सिंह जी का एवं 1/4 हिस्सा बजर सिंह जी की आराजीयात का खातेदार राजस्व रिकार्ड में हो गया जबकि वादीग एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर कब्जा काश्त है। महावीर सिंह एवं भगवान सि के नाम वाके ग्राम लदेरा में 8 बीघा आराजीयात अर्थात 2 है0 भूमि थी जिसे उन्हो विक्रय कर दिया जिससे खातेदारी भूमि में वादी संख्या 1 व 3 के संयुक्त रूप से है0 भूमि कम रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्व0 पीर सिंह का विरासत व नामान्तकरण संख्या 1 द्वारा स्व0 पीर सिंह का विरासत का नामान्तरकण स्वयं को दत्तक पुत्र मानते हुए खुलवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा निम्न कारणों से निरस्तनीय है :–(क) यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को स्व0 पीरसिंह द्वारा गोद नही लिया बल्कि स्व0 पीरसिंह खातेदारी भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बराबर–बराबर हिस्सेदार है। (ख) यह कि स्वयं प्रतिवादी ने स्व0 पीर सिंह की समस्त भूमि एवं बजरंग सिंह की खातेदारी भूमि में से 1/4 हिस्से का नामान्तरकण खुलवा लिया जो रिकॉर्ड से प्रमाणित है जिससे भी पीरसिंह का विरासत व नामान्तकरण निरस्तनीय है। यह कि वादीगण जो राजकीय सेवा में होने से बाहर रहते है तथा उनके हिस्से की आराजीयात काश्तकारों द्वारा करवायी जाती है जिससे मेर कोर को लेकर वाद विवाद बना रहता है जिस बाबत वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार निवेदन किया लेकिन हमेश टालमटोल करते रहते है जिससे वाद घोषणात्मक एवं विभाजन का पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। हाल ही में दिनांक 15/11/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ने नाम लगाने एवं विभाजन करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर लिया जिससे वाद विरूद्व प्रतिवादी पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री इस आशय करायी जावें कि प्रताप सिंह पुत्र श्री पीर सिंह की आराजीयात में वादीगण का 3/4 हिस्सा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या ... 4 हिस्सा घोषित किया जावें। खतौनी संख्या 120, 121 117, 118 में बाई मीट्स एण्ड बोण्डस अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन कर लगान की फैटबन्दी कि जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 18/01/2017 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 27/02/2017 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है, प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र दस्तावेजात नकल जमाबन्दी ग्राम गहलोता एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि परिशिष्ट संख्या ए, बी, सी, डी, ई में वर्णित आराजीयात में स्व0 पीर सिंह का हिस्सा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसको वादीगण ने वाद-पत्र पेश कर बराबर-बराबर नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है, इसी दरमियान प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में बाहमी बंटवारा अनुसार घोषणा खातेदारी चाही जाकर बंटवारा चाहा गया हैं, प्रतिवादी संख्या 1 ने भी मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने बाबत पूर्ण सहमति देते हुये किसी प्रकार की आपत्ति नही जतायी हैं, चूंकि पक्षकारान सगे भाई है एवं वादग्रस्त आराजीयात पैतृक आराजीयात है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन बरूये राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद बरूये राजीनामा डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात वर्णित परिशिष्ट ए, बी, सी, डी, ई वाके ग्राम गहलोता, तहसील दूदू जिला जयपुर के बाबत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न प्रकार से खातेदार

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह के हिस्से में –

खसरा नम्बर	रकबा
542	1.75
563 में से	0.67
409 से 413 में से	0.61
कुल रकबा	3.03 हैक्टेयर

वादी संख्या 3 महावीर सिंह के हिस्से में –

खसरा नम्बर	रकबा
730	1.30
461	1.20
862	0.67
कुल रकबा	3.17 हैक्टेयर

वादी संख्या 1 गोविन्द सिंह के हिस्से में –

खसरा नम्बर	रकबा
543	1.75
563 में से	0.67
409 से 413 में से	0.61
कुल रकबा	3.03 हैक्टेयर

वादी संख्या 2 भगवान सिंह के हिस्से में –

खसरा नम्बर	रकबा
731	1.36
485	1.68
937 में से	0.34
938 में से	0.34
कुल रकबा	3.72 हैक्टेयर

प्रताप सिंह एवं गोविन्द सिंह के हिस्से में कुंये की जमीन निम्न प्रकार से है :–

प्रताप सिंह के हिस्से में –

1721 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

1710 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1814 रकबा 0.30 हैक्टेयर

Scanned by CamScanner

प्रताप सिंह के हिस्से में –

खसरा नम्बर 1708 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1719 रकबा 0.40 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1722 रकबा 0.15 हैक्टेयर।

उपरोक्त मौके पर काबिज अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विभाजन किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता हैं। तहसीलदार दूदू व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने हेतु लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/3/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उ.२.- आदेश दिनांक ०७/११/१७ के अनुसार प्रथम पंक्ति में दर्ज प्रतापसिंह के स्थान पर गोविन्दसिंह पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू मुकाम
श्री त्रिलोक चन्द मीना (R.A.S.)

2. भगवान सिंह बनाम 1. प्रताप सिंह पुत्र बंजारा आदि राज्य
मुकाम उदयपुरिया दावा बाबत घोषणा मुकाम 2. तहसीलदार तहसील दूदू
ग्राम गहलोता मुकदमा नं. 154/2016 सन् 88 53 188 3. ग्राम पंचायत I.A.I. मोखमपुरा
आज बारते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नारायण सहाय पारीक RSb
मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री कृष्ण कुमार लखेरा उ. कि. आ.
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
अतः वादीगण का वाद बरूये राजीनामा डिग्री किया जाकर वादग्रस्त वर्णित परिशिष्ट A.B.C.D.E वाले ग्राम गहलोता, तहसील दूदू जयपुर के बाबत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-
प्रतिवादी संख्या 1. प्रतापसिंह के हिस्से में ख.न. 542 रकबा 1.75, 563 में 409 में 413 में 0.61 कुल रकबा 3.03 है, वादी संख्या 3 महावीर सिंह के ख.न. 730 रकबा 1.30, ख.न. 461 रकबा 1.20, 862 रकबा 0.67 कुल रकबा 3.

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 03 सन् 2017 को

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा दूदू जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
			मीजान		
मीज़ान					

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

बाडी संख्या 1 गोविन्द सिंह के हिस्से मे ख.न. 2543 रकबा 1.75, 563 मे से 0.67, 409 व 413 मे से 0.61 कुल रकबा 3.03 है0, बाडी संख्या 2 भगवान सिंह के हिस्से मे ख.न. 731 रकबा 1.36, 485 रकबा 1.68, 937 मे से 0.34, 938 मे से 0.34 कुल रकबा 3.72 है0 प्रताप सिंह एवं गोविन्द सिंह के हिस्से मे कुये की जमीन निम्न प्रकार से है :-

प्रताप सिंह के हिस्से मे -

1721 रकबा 0.16 है0, ख.न. 1705 रकबा 0.42 है0, ख.न. 1710 रकबा 0.18 है0, ख.न. 1814 रकबा 0.30 हैक्टेयर।

प्रताप सिंह के हिस्से मे :-

ख.न. 1708 रकबा 0.19 है0, ख.न. 1719 रकबा 0.40 है0, ख.न. 1722 रकबा 0.15 हैक्टेयर।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर)

नोट :- आदेश दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] के मुताबिक [illegible] प्रताप सिंह के स्थान पर गोविन्द सिंह पढा जावे।

2